

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय,
बल्लभ भवन, भोपाल- 462 004

क्रमांक एफ ए-6-17/2015/1/पांच
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27/10/2021

आयुक्त,
जनसंपर्क,
बाणगंगा, भोपाल म.प्र।

विषय:- मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में एक अतिरिक्त लेखा सदस्य के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी करने बाबत।

वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में एक अतिरिक्त लेखा सदस्य की नियुक्ति किए जाने हेतु जारी किये जाने वाले विज्ञापन की प्रति संलग्न प्रेषित कर निर्देशानुसार अनुरोध है कि उक्त विज्ञापन को प्रदेश के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशन उपरांत एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्न— विज्ञापन की प्रति।

(आर.पी.श्रीवास्तव)

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

क्रमांक एफ ए-6-17/2015/1/पांच

भोपाल, दिनांक 27/10/2021

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. आयुक्त, वाणिज्यिक कर मध्यप्रदेश, इंदौर की ओर सूचनार्थ भेजकर अनुरोध है कि यह विज्ञापन विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- 2. रजिस्ट्रार, म.प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु तथा अपील बोर्ड की अधिकृत वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु।

उप सचिव,
मध्य प्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

मध्य प्रदेश शासन
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल-462004

::विज्ञापन::

मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड में एक अतिरिक्त लेखा सदस्य के पद पर
नियुक्ति के लिए आवेदनों का आमंत्रण

क्रमांक एफ ए 6-17/2015/1/पॉच भोपाल, दिनांक /10/2021

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश वेट अधिनियम, 2002 के तहत गठित अपील बोर्ड में एक अतिरिक्त लेखा सदस्य की नियुक्ति हेतु निर्धारित अहता रखने वाले व्यक्तियों से निम्न शर्तों के अधीन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं:-

निर्धारित अहता:-

आवेदक:-

(क) चार्टर्ड एकाउंटेंट के रूप में कम से कम दस वर्षों तक विक्रय कर/वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर में लेखाकर्म का व्यवसाय कर चुका हो

अथवा

म.प्र.राज्य कराधान सेवा का सेवारत अथवा सेवानिवृत्त सदस्य हो तथा इस सेवा का न्यूनतम तीस वर्षों तक सदस्य रह चुका हो तथा इस सेवा के तहत (i) संचालक या अतिरिक्त आयुक्त का पद धारण कर चुका हो या (ii) कम से कम तीन वर्षों तक उप आयुक्त का पद धारण कर चुका हो।

(ख) दिवालिया न्याय निर्णीत ना हुआ हो, या

(ग) ऐसे अपराध का जिसमें राज्य सरकार की राय में नैतिक अधमता अंतर्विलित हो, सिद्धदोष नहीं ठहरा दिया गया हो, या

(घ) मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में असमर्थ न हो।

वेतन भत्ते एवं अन्य शर्तेः-

1. अतिरिक्त लेखा सदस्य की नियुक्ति म.प्र.वेट अधिनियम 2002 की धारा 4 के अंतर्गत नियुक्ति दिनांक से 02 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु (जो पहले हो) होने तक की अवधि के लिये होगी। वर्तमान में शासन द्वारा अतिरिक्त लेखा सदस्य का पद दिनांक 31.03.2022 तक के लिये स्वीकृत किया गया है, जिसे दिनांक 31.03.2024 तक बढ़ाने की कार्यवाही प्रचलन में है। अतः अतिरिक्त लेखा सदस्य का कार्यकाल इस वृद्धि के अध्यधीन ही 02 वर्ष का होगा।

2. नियुक्त सदस्य पद पर नहीं रह जाने पर म.प्र.वेट अधिनियम 2002 के अधीन किसी प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होने, कार्य करने या पक्ष समर्थन के लिए पात्र नहीं होगा।

3. नियुक्त सदस्य को राज्य सरकार के सचिव की श्रेणी के अधिकारी को देय मासिक वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे किंतु यदि वह मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा से पहले से ही सेवानिवृत्त हो चुका है, तो उसे सचिव श्रेणी के देय मासिक वेतन एवं भत्ते में से उसे दी जा रही मासिक पेंशन कम कर दी जाएगी।

4. मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा के सेवारत सदस्य की नियुक्ति लेखा सदस्य के रूप में होने पर, उस तारीख को, जिसको कि वह सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण करता है, उसे म.प्र. राज्य कराधान सेवा से सेवानिवृत्त हो गया समझा जाएगा, किन्तु सदस्य के रूप में उसकी पश्चातवर्ती सेवा, उसे लागू नियमों के अधीन पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभों के लिए, मध्यप्रदेश राज्य कराधान सेवा में उसकी सेवा के रूप में सम्मिलित की जाएगी।

11211

5. मासिक वेतन एवं भत्तों के अतिरिक्त राज्य कराधान सेवा से नियुक्त सदस्य की सेवा की अन्य शर्तें, उस सेवा के सदस्य को लागू नियमों द्वारा विनियमित की जायेगी।

आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज़:-

1. आवेदन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा आवेदन पत्र के साथ तीन वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 के आयकर रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करनी होगी, जिसमें व्यवसायिक सेवा मद में आय दर्शायी गई हो।
2. आवेदन करने वाले चार्टर्ड एकाउंटेंट के द्वारा कम से कम दस वर्षों तक विक्रय कर/वाणिज्यिक कर/मूल्य संवर्धन कर में लेखाकर्म का व्यवसाय किये जाने का आयुक्त, वाणिज्यिक कर द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।

आवेदन की अंतिम तिथि:-

सम्पूर्ण विवरण के साथ आवेदन सादे कागज पर प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्यिक कर विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल को पंजीकृत डाक से दिनांक 16.11.2021 तक तथा आवेदन पत्र की स्कैन की हुई प्रति ई-मेल से pscommtax@mp.gov.in पर भी दिनांक 16.11.2021 तक प्राप्त हो जानी चाहिये।

(आर.पी.श्रीवास्तव)

उप सचिव

म.प्र.शासन

वाणिज्यिक कर विभाग